संख्या: 89/2016/127/पैंतीस-4-2016

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 21 मार्च,2016**

विषय- वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत लैपटाप व डेस्कटाप (सहवर्ती उपकरणों सहित) तथा एल0सी0डी0 प्रोजेक्ट क्रय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 62/ले0-69/2009टी0सी0, दिनांक 19.01.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत 40 लैपटाप व 18 डेस्कटाप (सहवर्ती उपकरणों सहित) तथा 18 एल0सी0डी0 प्रोजेक्ट क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 6.00 करोड़ के सापेक्ष राज्यांश सहित कुल रू0 6.45 करोड़ (रू0 छः करोड़ पैतालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 34/2016/19/पैतीस-4-2016, दिनांक 21.01.2016 द्वारा प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है जिसके अन्तर्गत रू0 1.51 करोड़ (रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख मात्र) की धनराशि इनफारमेशन टेक्नोलाजी हेतु चिन्हित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत 40 लैपटाप व 18 डेस्कटाप (सहवर्ती उपकरणों सहित) तथा 18 एल0सी0डी0 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रू0 85,80,004/- (रू0 पच्चासी लाख अस्सी हजार चार मात्र) क्रय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :-

(1) प्रश्नगत मदों में व्यय करने से पूर्व इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों/सामग्री/वस्तुओं का क्रय संबंधी आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सुसंगत शासनादेशों एवं वस्तुओं का क्रय उ0प्र0 स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित तदविषयक आदेशों/नियमों/सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों पर व्यय सुसंगत शासनादेशों, नियमों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(3) व्यय करने के पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/एम0ओ0यू0 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राम रेखा पाण्डेय)
सयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 89/2016/127 (1)/पैतीस-4-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व , द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।